घटना के समय परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद एक कमरे में सो रहे थे

सेवानिवृत्त शिक्षक के घर से 10 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर

- दाउदनगर थाना क्षेत्र में वार्ड संख्या-22 स्थित मौलाबाग मुहल्ले की घटना
- मौलाबाग में खिड़की-वेंटीलेटर के रास्ते घर में घुसे चोर

मुरादाबाद की देर रात मौलाबाग मुहल्ले में चोरी के बाद बिखरा सामान।

दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 22 स्थित मौलाबाग मुहल्ले में बुधवार की रात चोरों ने सेवानिवृत्त शिक्षक बजरंग सिंह के घर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। करीब 10 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया।

प्राथमिकी के अनुसार चोर सोने का हार, चार बाला, छह जोड़ी झुमके, दो मंगलसूत्र, सोने की चेन, सात अंगूठियां, तीन लॉकेट, चांदी के कंगन व कटोरी, चार जोड़ी पायल तथा आठ चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर घर के पीछे की ओर से खिड़की और वेंटीलेटर के रास्ते अंदर घुसे और दो कमरों में रखे गोदरेज, अटैची तथा दीवान फर्नीचर के ताले तोड़कर जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित सेवानिवृत्त शिक्षक बजरंग सिंह मूल रूप से दाउदनगर थाना क्षेत्र के केशराड़ी गांव के निवासी हैं और वर्तमान में मौलाबाग में अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं।

घटना के समय परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद एक कमरे में सो रहे थे। सुबह सुबह जब वे जागे तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी व अन्य सामान के खाली ट्रॉलियां इधर-उधर बिखरी हुई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही दाउदनगर थाना के एसआई सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अन्य थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि मुहल्ले की निवासित के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

घटना के बाद मौलाबाग मोहल्ले के लोगों ने दहशत का व्यक्त है। पुलिस अन्य थाना क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक

- गोह के मगत सिंह पुस्तकालय में जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित
- साहित्य में सामाजिक विषमता और कुरीतियों पर हुई चर्चा

गोह, संवाद सूत्र। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर शुक्रवार को गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित भगत सिंह पुस्तकालय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद उनकी कहानियों और उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षाविदों ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाओं ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं पर प्रभावी प्रहार किया है। गोदान उपन्यास का विश्लेषण करते हुए उच्च-नीच, छुआछूत और भेदभाव का सजीव चित्रण रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी सामाजिक विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में शिक्षक सुरेंद्र यादव, सुरेश प्रसाद यादव, जगनारायण सिंह 'विकल', अरुण कुमार, रामानंद यादव आदि मौजूद थे।

मुरादाबाद की गोह के भगत सिंह पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी में उपस्थित साहित्य प्रेमी श्रोतागण।

ग्राफिक एरा गौरव श्रृंखला - 50

श्वेता चंद
टनकपुर, चंपावत
उत्तराखंड
बी.टेक सी.एस.ई - 2026
ग्राफिक एरा देहरादून परिसर
प्लेसमेंट पैकेज
₹47.88 लाख
amazon
Graphic Era Hill University
www.gehu.ac.in 1800 890 6027

शहर 30s

ट्रैक्टर की ठोकर से दो लोग घायल

मडदुमपुर। मडदुमपुर के निकट एनएच बाईपास पर ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रजनीश कुमार और बिरा कुमार दोनों छछौही निगहा के रहने वाले हैं। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मडदुमपुर लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को विशेष इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया गया कि वे लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बाकल से एक ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी।

आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

अरवल। सहायक न्यायालय अरवल की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी की अदालत ने अवैध देसी कट्टा रखने के आरोपित को दोषी पाया और 3 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि सुरज पासवान कुमार दास पुआँ ने विजर थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल 2023 को अभियुक्त जीतन पासवान ग्राम डाभाड़ नगर थाना किजर जिला अरवल के पास से तीन देसी पिस्टल एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। न्यायालय ने सुनाई पश्चात अभियुक्त जीतन पासवान को दोषी पाया तथा अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम में 3 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।

एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित

मुरादाबाद की रात आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पुष्पा अवधि एसडीओ अशोक राजन।

दाउदनगर, संवाद सूत्र। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में दाउदनगर अनुमंडल प्रशासन की ओर से शुक्रवार को हाइट, तरार परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

देशभक्ति गीतों, गजलों और प्रेरणादायी प्रस्तुतियों से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सुचारु रूप से कल्याण पिंडेश्वरनाथ के वीडीसी पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, दाउदनगर के एसडीओ अमित राजन, एसडीपीओ अशोक कुमार शाह, जिला खनन पदाधिकारी प्रांजुल कुमार, डीसीएलआर प्रभात कुमार, सीडीओ गौ. जफर इमाम, सीओ सतीश कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता अधिकारी तिवारी एवं वीर सूची पुकारा जा सकता। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकार इंजि मिन्हा, राजेश कुमार, सावन झा एवं अशोक कुमार ने देशभक्ति गीत, गजल और प्रेरणादायी प्रस्तुतियां दी। 'घर आना परदेसी, तेरा देश बुलाये रे' जैसे गीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार, पंचायत विकास कुमार, पूजा, श्याम पाठक, अजय कुमार, राकेश कुमार झा, अशोक कुमार टंडन आदि उपस्थित थे।

अध्यक्ष दीपक पटेल ने संयुक्त रूप से दीप जला कर किया। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर देश के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

मुख्य अतिथि राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत के वीर सैनिकों का साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। एसडीओ अशोक कुमार शाह ने भी शहीदों के अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों का त्याग कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस अवसर पर अध्यक्ष दीपक पटेल ने संयुक्त रूप से दीप जला कर किया। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर देश के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

बोल बम के जयघोष के साथ देवघर रवाना हुए कांवरिये

- यात्रा शुरू होने से पहले रामी ने हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की
- वार्ड संख्या 13 की पार्षद रहेंगी देवी ने कांवरियों को रवाना किया

दाउदनगर, संवाद सूत्र। सावन माह में दाउदनगर के श्रद्धालुओं निकल बम कांवरिया संघ का कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले सभी कांवरियों ने हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया तथा आगे परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय यात्रा की कामना की।

पूजा-अर्चना के बाद कांवरियों ने बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किया। वार्ड पार्षद रामी देवी ने कांवरियों को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सकुशल एवं मंगलमय यात्रा तथा क्षेत्रवासियों के सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। कांवरिया संघ के सदस्यों ने बताया कि जत्था देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना करेगा। इसके बाद बाबा बासुकीनाथ मंदिर में जल-पूजन करेगा तथा प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ में माता तारा के दर्शन कर पूजा-अर्चना के उपरांत दाउदनगर लौटेगा। जत्थे में गजेन्द्र तिवारी, लालमणी टेकरीवाल, विकी ठुकु, सुनिल पांडेय, त्रिभिन तिवारी, विकी तिवारी, अर्क बाना, दीपक तिवारी, लालमणी शाह केशरी, आनंद कुमार केशरी, अनुकंप कुमार केशरी, शुभम आदि शामिल हैं।

जिम्मेवारी मिलने पर दी बधाई

दाउदनगर। दाउदनगर प्रखंड के महावर गांव स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्र को राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई। बैठक में हवालदार बौद्ध, रघुवर चौधरी, नृपमोरी राम, बसंत राम आदि थे।

110 विद्यालयों का अगस्त में होगा सोशल ऑडिट, तैयारी शुरू

- 3 से 22 अगस्त तक 10 पंचायतों के चिह्नित विद्यालयों का होगा सामाजिक अंकेक्षण

अंथा, संवाद सूत्र। कुटुंबा प्रखंड के 10 पंचायतों के 110 चिह्नित विद्यालयों का वित्तीय वर्ष 2025-26 का सामाजिक अंकेक्षण तीन से 22 अगस्त तक किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को प्रखंड संसाधन केंद्र कुटुंबा में समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी गई।

बैठक की अध्यक्षता जिला साधन सेवी सोनी कुमारी ने की। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च की गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। इसके तहत संबंधित विद्यालयों के व्यय से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच होगी। सोशल ऑडिट के दौरान व्यय संबंधी विपत्र, रोकड़ पंजी, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक पंजी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने सभी विद्यालय प्रधानों को निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखने तथा अंकेक्षण में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया। बैठक में लेखपाल अविनाश कुमार, डाटाइंट्री ऑपरेटर विपिन कुमार सहित चिह्नित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।

Software Technology Parks of India
(An Autonomous Society under Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India)

संविदा सूचना संख्या 2(3)/आई/एसटीपी आई-मुजफ्फरपुर/2026-27

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) एसटीपी मुजफ्फरपुर परिसर के साथ निम्नलिखित सेवाओं के लिए योग्य एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन में एसटीपीआई के रेट में डिस्काउंट सहित रेट 12 % है। नियत दी गई समय 'के' पर सभी निविदा को खोले के लिए नियत अधिकारी के अवलोकन अनिवार्य किया जाता है। निविदा को प्रतिभूति / अग्रिमभुगतान चाहने वाले द्वारा चाहने का प्रावधान है। आवेदन/बोली चाहने के अधिकार का भी सुरक्षित है बिना किसी पूर्वसूचना अथवा कारण बताए किसी भी निविदा अथवा के दौरान प्रावधानुसार के प्रावधान के आधार पर निरस्तीकरण/विलम्बित किया जाने का अधिकार है।

पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर	आयु सीमा (अधिकतम)	
ए 6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सह-रजिस्ट्रार (ए VIII)	01 (अनारक्षित)	स्तर 13 (₹. 123100-215900)	बोली चाही के आधार पर निर्धारित के लिए	50 वर्ष (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
				अधिकारी/कर्मचारियों के आधार पर निर्धारित हेतु	56 वर्ष

आवश्यक योग्यता और अनुभव, आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और साक्षात्कार तिथि और शर्तों आदि की जानकारी के लिए, उम्मीदवार एसटीपी आई की वेबसाइट www.stpi.in देख सकते हैं।

इति-
(मु.प्र.अ.-सह-रजिस्ट्रार), एसटीपीआई

विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सहित अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया

- कहा, शिक्षकों पर ज्ञान देने की ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास की जिम्मेवारी

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा चौइड सत्र 2026-28 के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के स्वागत में शुक्रवार को इंडक्शन मोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जला कर एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ।

कॉलेज के प्राचार्य सह डीन शिक्षा संकाय डा. सुधीर कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन सहित संतोष कुमार तिवारी, छोटेलाल यादव, कौशल किशोर कुमार, डॉ. अभय एवं सुनीता कुमारी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। बी.एड. पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका, अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि एक श्रेष्ठ शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, नवाचार, शोध एवं तकनीकी दक्षता अपनाने के लिए प्रेरित किया। मंच संचालन द्वितीय वर्ष के नीतेश कुमार और सोनी कुमारी एवं स्वागत गान रागिनी कुमारी, अंजली कुमारी, शालिनी कुमारी, वैष्णवी सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन छोटेलाल यादव ने किया। डॉ कमलेश कुमार सिंह, डॉ अनिल सिंह, डॉ नागेन्द्र कुमार सिंह, डॉ नीतू सिंह, मंजीत कुमार सिंह, राजीव रंजन आदि थे।

रामाहरणालय बेगूसराय
(आपदा प्रबंधन शाखा)
अल्पकालीन निविदा सूचना

समाविष्ट वाइ 2026 एवं अन्य आपदाओं के दौरान प्रभावित एवं विस्थापित व्यक्तियों के बीच राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक संसाधनों की आपूर्तिकर्ता पंजीयन पंजी में होगी, तदनुसार उक्त संसाधन जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से दृढ़ द्वारा सीलबन्द अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को रु0–20,000.00 (बीस हजार) रूपया की जमानत राशि किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पक्षमान से देय होगा, जो अनिवार्य है। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक–18.08.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय में प्राप्त की जायेगी एवं प्राप्त निविदाएँ दिनांक 18.08.2026 अपराह्न 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कार्यालय जिला सभा भवन, बेगूसराय में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय

PR. No. 009081 (Disaster) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सूचना

यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर 01.04.2026 से प्रारम्भ हो चुकी है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि का प्रदर्शन किया है।

5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा (31 जुलाई, 2026 तक), जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, पुरस्कार के लिए पात्र है। किसी भी नागरिक से खुले नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशें, दोनों पर विचार किया जाएगा।

ऑनलाइन नॉमिनेशन जमा करने की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 31.07.2026 निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 15.08.2026 कर दी गयी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर जाएं।

सीबीसी 46101/11/0012/2627

समाहरणालय, नवादा
(जिला हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ विमेन, नवादा)
हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ विमेन योजना अन्तर्गत रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं0–01/2026

प्रधान निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक– WCDC/2092/23 दिनांक–27.09.2023 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेन्ट ऑफ विमेन, नवादा के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	आयु	योग्यता / अनुभव	मूल मानदेय (नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC देय होगी।
1	2	3	4	5	6
1	ब्लॉक इन्ट्री ऑपरेटर	01– अनारक्षित	कार्यालय प्रबन्धन/ कार्य के उपलब्ध अनुभव के अनुसार	शैक्षिक योग्यता–स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि – इग्नू प्रवेश, जैसा स्नातकोत्तरीकरण का 36–उपस्नातक सिर्टिफिट उपाधि आदि में सकारी / गैर सरकारी / कार्यरत उपस्थित कार्यालय के पास का अनुभव	13,800 / –

नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप नवादा जिला के वेबसाईट https://nawada.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन विज्ञापन प्रकाशन से 15 दिनों के अन्दर अपराह्न 06:00 बजे तक जिला प्रोग्राम कार्यालय, प्रथम तल, विकास भवन, समाहरणालय परिसर, नवादा में निबंधित डाक द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

PR- 009025 (District) 2026-27

जिला पदाधिकारी, नवादा

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से भी प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल निजित सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

पाठकगण साधारण जनता एवं बैंक के उधारकर्ता / जमानतदार को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति गिरवी के प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका सांकेतिक/वास्तविक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि के भुगतान के लिए दिनांक 01 जनवरी 2026 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाएगी। अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई है।

परिशिष्ट - IV-A (नियम 9(1) का प्रावधान देखें) (मूसलिम परिसंपत्तियों की अनुसूची)

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / प्रायोजक/गारंटर के साथ खाता एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/बंधक का नाम (संपत्ति जो गिरवी रखने वाले)	(क) कब्जे की तारीख (ख) चल सूचना के अनुसार कब्जा तारीख (ग) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (राशि अंकों में) (ख) बयाना	ई-नीलामी की तिथि/समय	सूचित मैनेजरों को ड्राफ्ट जारी करने का विवरण
1	पीएनबी-उमरांव (239700) मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी (प्रो0-श्रीमती हेमन्तुनी देवी पति श्री रतन प्रसाद) पता- वार्ड संख्या-07, रामबीर नगर, बाजार समिति, कोचस, उमरांव, जिला-रोहतास, बिहार-821112 मोबाईल सूत्र-9771634551 श्री रतन प्रसाद (गारंटर) पिता स्वर्गीय दशरथ राम पता- वार्ड संख्या-07,रामबीर नगर, बाजार समिति, कोचस, उमरांव, जिला-रोहतास, बिहार-821112 मोबाईल सूत्र-9771634551 खाता संख्या-2397008700002840	अचल संपत्ति यहाँ स्थित है: मौजा- कोचस (285), थाना-कोचस, थाना संख्या-285, अंचल-कोचस, हल्का संख्या-02, खाता संख्या-549/210, प्लॉट संख्या-746/1358, रकबा-05 डेसिमल स्थायक रजिस्टर्ड बैनामा डीड संख्या-3244 दिनांक 05.03.2020 को तरन प्रसाद पिता स्वर्गीय दशरथ राम के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर- बाबो पासवान, दक्षिण- राजेश तेली, पूर्व- 8 फीट प्रस्तावित रास्ता, पश्चिम- प्लॉट संख्या-1357	क) 30.12.2024 ख) रु. 28,18,491.43 /- + अन्य का भाग ग) 04.04.2025 घ) सांकेतिक	क) रु. 23,40,000/- ख) रु. 2,34,000/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 24.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक	लागू नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सूचना बिक्री (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों की "जैसा है जहां है" के आधार पर और "जैसा कि वो है कि आधार पर" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। 2. बिक्री अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना पाठकगण साधारण जनता एवं उधारकर्ता के विवरण के लिए पंजीकृत नहीं किया है। 3. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और पंजाब नैशनल बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in देखें। 4. प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री की बोली को प्रस्तुत करने पर उनके बोलीदाता को अनामत राशि, यदि लागू हो, के बिना बोली प्रस्तुत करने की शर्तों को स्वीकार एवं/एवं/एवं/एवं/एवं के साथ ही अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उचित निर्णय अधिक होगा।

सम्पत्ति अधिनियम, 2002 के नियम-9(1) के तहत बिक्रीयोग्य बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी

समाहरणालय, मधेपुरा
(न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा)
–: आम सूचना :–

अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0 पटना ने पत्रांक–,दिनांक–,के द्वारा Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत एक्सिस बैंक शाखा, मधेपुरा द्वारा श्री अजय कुमार यादव पिता श्री सुदिष्ट यादव, सा0–अम्बेदकर नगर, मुरलीगंज वार्ड नं0–09, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा को नं0–7,00,000 / –(सात लाख) रूपये की लोन स्वीकृति दी गई थी, जिसकी भरपाई नहीं किए जाने के कारण दिनांक–23.10.2025 तक मूल धन सूद सहित नं0–6,98,000 / –(छ. लाख अट्ठानबे हजार) रू0 वसूली योग्य हो गया है। उक्त राशि की वसूली हेतु बैंक के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार जमीन पर कब्जा करने हेतु सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–14 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। जिस पर समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में सरफेसी वाद सं0–01 / 2026–27 राज्य बनाम अजय कुमार यादव से संबंधित मामला चल रहा है। प्रश्नगत मामले में ऋणि के नाम पता पर नोटिस निर्गत किया गया। एवं विशेषदूत के माध्यम से नोटिस की प्रति तामिला करवाने हेतु भेजा गया। परन्तु विशेषदूत द्वारा यह अंकित कर नोटिस बिना तामिला ही वापस कर दिया गया कि प्राप्त कर्त्ता के अंकित पता पर गया। पूछने पर कहा गया कि इनका घर नहीं है। बगल में पूछा वह भी नहीं बताया। ऐसी स्थिति में ऋणि श्री अजय कुमार यादव को एक अवसर प्रदान करते हुए ऋणि तथा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु समाचार पत्र के माध्यम से आम सूचना निर्गत किया जा रहा है।

एतद सूचना द्वारा ऋणि श्री अजय कुमार यादव पिता श्री सुदिष्ट यादव, सा0–अम्बेदकर नगर, मुरलीगंज वार्ड नं0–09, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा को आगाह किया जाता है कि समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में दिनांक–28.08.2026 को 03.00 बजे अपरा में ऋण से संबंधित सभी कागजातों के साथ स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष रखें अन्यथा एकपक्षीय सुनवाई कर नियमानुसार विधि–सम्मत आदेश पारित कर दिया जायेगा।

PR- 008840 (District) 2026-27

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से भी प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।